कार्यालय निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

क्रमांकः–शिविरा/प्रारं/आरटीई/बी/सॉफ्टवेयर/18894/13–14/वो–III/323 दिनांकः– 17.11.14

उप निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा

....

जिला शिक्षा अधिकारी
प्रारम्भिक शिक्षा

....

विषयः–दिनांक 11.11.2014 को प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग महोदय की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई राज्य स्तरीय समन्वय समिति(SLCC) की बैठक में लिये निर्णयों की अनुपालना के क्रम में।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत दिनांक 11.11.2014 को प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग महोदय की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई राज्य स्तरीय समन्वय समिति(SLCC) की बैठक में लिये निम्न लिखित निर्णयों के संबंध में आपको निर्देशित किया जाता है कि इनकी अक्षरशः अनुपालना सुनिश्चित की जायेः–

1. ऐसे विद्यालय जिनके द्वारा सत्र 2012–13 में निःशुल्क शिक्षा हेतु प्रवेशित बालकों के संबंध में पुनर्भरण तो प्राप्त कर लिया परन्तु उन बालकों की सूचना आर.टी.ई वेब पोर्टल पर अपलोड नही की गई जिसके कारण सत्र 2012–13 में प्रवेशित बालक पोर्टल पर क्रमोन्नत नही हो सके तथा इन बालको के संबंध में उक्त विद्यालयों को सत्र 2013–14 में पुनर्भरण नही हो सका।

   इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया कि संबंधित विद्यालयों द्वारा ऐसे बालकों की सूची बीईईओ/डीईओ(मा.) को दी जायेगी। इन कार्यालयों द्वारा समस्त प्रकरणों का परीक्षण किया जाएगा तदुपरान्त आवश्यक टिप्पणी सहित कार्यालय के आरटीई प्रभारी अधिकारी, राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा परिषद, जयपुर स्थित आरटीई हेल्प सेंटर पर व्यक्तिशः उपस्थित होकर बालकों का डाटा प्रविष्ट करायेंगे। जयपुर स्थित हेल्प सेन्टर पर जाने से पूर्व आरटीई प्रभारी अधिकारी, जयपुर के हेल्प सेन्टर प्रभारी से तिथि व समय निश्चित कर लें। डाटा प्रविष्टि की सूचना निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा,राजस्थान, बीकानेर को दी जायेगी। इस संबंध में यह भी निर्णय लिया गया कि इन बालकों के संबंध में गैर सरकारी विद्यालयों को सत्र 2013–14 की दोनों किश्तों का पुनर्भरण नहीं किया जायेगा परन्तु आगामी वर्षों में इन बालकों के क्रमोन्नत होने पर पुनर्भरण किया जायेगा।

2. सत्र 2014–15 में निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के प्रावधानान्तर्गत 25% निःशुल्क शिक्षा हेतु प्रवेशित बालकों के पुनर्भरण हेतु जिन गैर सरकारी विद्यालयों की फीस का निर्धारण राज्य स्तरीय फीस निर्धारण समिति द्वारा कर दिया गया उन्हें उनके द्वारा ली जाने वाली प्रतिबालक प्रतिवर्ष सत्यापित कक्षावार फीस/राज्य स्तरीय फीस निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित कक्षावार फीस अथवा सत्र 2014–15 के लिए राज्य सरकार द्वारा निर्धारित यूनिट कॉस्ट इनमें से जो भी न्यून हो के आधार पर पुनर्भरण किया जाएगा।

   जिन गैर सरकारी विद्यालयों की फीस का राज्य स्तरीय फीस निर्धारण समिति द्वारा निर्धारण नहीं किया जा सका है, उन्हें उनके द्वारा ली जाने वाली प्रतिबालक प्रतिवर्ष सत्यापित कक्षावार फीस/सत्र 2014–15 के लिए राज्य सरकार द्वारा निर्धारित यूनिट कॉस्ट इनमें से जो भी न्यून हो के आधार पर पुनर्भरण किया जाएगा परन्तु यदि बाद में राज्य स्तरीय फीस निर्धारण

समिति द्वारा किसी विद्यालय की कक्षावार फीस उसे पुनर्भरण की गई राशि से कम निर्धारित की जाती है तो आगामी किस्तों में अधिक पुनर्भरण राशि का संबंधित डीडीओ द्वारा समायोजन किया जाएगा।

3. आर.टी.ई के तहत निःशुल्क शिक्षा हेतु प्रवेशित बालकों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध नही करवाने वाले गैर सरकारी विद्यालयों द्वारा संबंधित डीडीओ को जब तक निःशुल्क शिक्षा हेतु प्रवेशित बालकों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध करवा देने संबंधी प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं करवाया जाता है तब तक उन्हें द्वितीय किस्त का पुनर्भरण नहीं किया जाएगा।
4. सत्र 2014–15 में आरटीई के तहत निःशुल्क शिक्षा हेतु प्रवेशित व कमोन्नत बालकों का भौतिक सत्यापन कार्य 20.11.14 तक आवश्यक रूप से करवाते हुए संबंधित डीडीओ द्वारा 30.12.14 से पूर्व सत्र 2014–15 की प्रथम किस्त का पुनर्भरण किया जाए।

अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)
प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

प्रतिलिपि निम्न का सूचनार्थ–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, शासन सचिवालय जयपुर।
2. निजी सचिव आयुक्त, राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद, शिक्षा संकुल, जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक महोदय कार्यालय हाजा
4. निजी सचिव, निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर को प्रेषित कर निवेदन है कि माध्यमिक शिक्षा के समस्त उप निदेशक एवं जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालयों को पालनार्थ सूचित कराने का श्रम करावें।
5. रक्षित पत्रावली।

अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)
प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर